

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में रायपुर-कुमालडा-कददूखाल मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से रगडगाव संरेखण प्रस्ताव कि०मी० (15.675 कि०मी०)के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश आदेश संख्या 5-3/2007- एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता नियता निम्नानुसार है:-

1. ईको- क्लास श्रेणी ~~III~~ - III
2. हरियाली का घनत्व ~~0.5~~ - 0.4
3. एन०पी०वी० की दर प्रति है० रुपये - ₹845000/है०
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल - 0.478 है० 9.887 है०
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि - ₹83,54,515=00

(श्रीमान प्रमोद कुमार)
व.स.

प्रमाणित
डी.जी.ए.
कोड 4012

वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रज,
मसूरी वन प्रभाग

प्रमाणित
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

रा. प्रभागिय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

(दिनांक 15/12/2019)
व.स. 15/12/2019
दिनांक 15/12/2019

परियोजना का नाम - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में रायपुर-कुमाल्डा- कददूखाल मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से रगड़गांव मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-15.675 किमी०) के निर्माण हेतु 9.887 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.08 एवं 9.5.2008 के अनुसार)

"प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र (आरक्षित वन भूमि- 7.455 है० तथा सिविल सोयम /वन पंचायत भूमि- 2.432 है० कुल 9.887 है०) मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास V के अन्तर्गत आता है"।

उपरोक्तानुसार उक्त वन क्षेत्र का घनत्व 0.3 से 0.4 है। जिस हेतु एन०पी०वी० की प्रति हैक्टर दर रू० 8,45,000=00(रू० आठ लाख पैंतालीस हजार) मात्र है। उक्त दर के अनुसार एन०पी०वी० धनराशि का आगणन रू० 83,54,515=00(रू० तिरासी लाख चौवन हजार पाँच सौ पन्द्रह मात्र) किया गया है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।


प्रमाणित किया जाता है
जौनपुरी वन विभाग, मधुबनी